न्यायालय :– अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या :–448/2026
उत्पन्न बिहारीगंज थाना कांड संख्या :–412/2024

1. नितीश कुमार उम्र लगभग 28 वर्ष पिता– सिकेन यादव उर्फ सिकेन्द्र यादव
सा.–तुलसिया, वार्ड नं0–06, थाना–बिहारीगंज, जिला–मधेपुरा।
–आवेदक/अभियुक्त

बनाम्

बिहार सरकार – विपक्षी

अग्रिम जमानत आदेश

05–06–2026

अभियुक्त नितीश कुमार का अग्रिम जमानत आवेदन जो बिहारीगंज थाना कांड संख्या–412/2024 अन्तर्गत धारा–304 बी0एन0एस0 से संबंधित है तथा विद्वान अधिवक्ता श्री अभिनेश्वर मिश्रा द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित किया गया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदक निर्दोष है जिसे झूठे केस में फंसाया गया है जिसका आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक की ओर से इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय पटना में इसके पूर्व कोई जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया। घटना अज्ञात के विरूद्व दर्ज किया गया है। तथाकथित मामले का सह–अभियुक्त विकास कुमार जो जमानत पर है, के स्वीकारोक्ति बयान पर आवेदक को प्रस्तुत में अभियुक्त बनाया गया है। आवेदक के विरूद्व छापामारी में पुलिस द्वारा जमान जप्त नहीं किया गया है तथा उक्त घटना में एक भी स्वतंत्र साक्षी नहीं है। आवेदक को धारा–35(3) के अंतर्गत नोटिस नहीं किया गया है। आवेदक पुलिस अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार है तथा जमानत की सुविधा का दुरूपयोग नहीं करेगा। आवेदक माननीय न्यायालय के सभी अधिरोपित शर्तो का अक्षरसः अनुपालन करने के लिए भी तैयार है। अतः आवेदक को जमानत दिए जाने की कृपा की जाये।

05.06.26

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

अभियोजन वाद संक्षेप में यह है कि सूचक जयकांत कुमार दिनांक 15.12.24 को अपने घर से हथिओंधा ससुराल आ रहा था की रास्ते में रात्री करीब 08:45 बजे जैसे ही सूचक तुलसिया कठोतिया पुल से करीब 0.5 कि.मी. दक्षिण पहुंचा तभी पीछे से एक काला रंग का बिना नम्बर प्लेट का होंडा मोटरसाइकिल पर तीन सवार व्यक्ति आया और सूचक का मोबाइल वन–प्लस का नोर्ड सी.ई.–2 जिसका ई0एम0ई0आई0 नं0–863825063706895, 86382563706887 है जिससे बात कर रहा था को उक्त मोटरसाइकिल सवार झपटा मार कर तेजी से आगे भागा और कुछ दूरी जाने के बाद पश्चिम दिशा की ओर मुडकर भाग निकला। सूचक अपने मोटरसाइकिल का संतुलन बनाकर पीछा किया परंतु अंधेरा का लाभ उठाकर उक्त लोग भागने में सफल हो गया, जिसके बाद सूचक थाना में आकर घटना के संबंध में एक लिखित आवेदन दिये।

लगातार–

न्यायालय :– अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या :–448 / 2026
उत्पन्न बिहारीगंज थाना कांड संख्या :–412 / 2024
–2–

लगातार
05–06–26

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी कांड दैनिकी एवं निम्न न्यायालय द्वारा प्राप्त मूल अभिलेख का अवलोकन किया। प्राथमिकी धारा–304 बी0एन0एस0 के अंतर्गत दर्ज की गई है। प्राथमिकी के अनुसार आवेदक के विरूद्व अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर कठोतिया पुल के पास सूचक के मोबाइल को झपटा मारकर तेजी से बिना नम्बर वाले मोटरसाइकिल से भाग जाने का अभियोग है।

कांड दैनिकी के पारा–02, 03 एवं 04 में वादी एवं साक्षियो का बयान है जिसके सभी ने घटना का पूर्ण समर्थन किया है। पारा–14 में अनुमंडल पुलिस पदा0 ने पर्यवेक्षण टिप्पणी एवं पारा–27 में पुलिस अधीक्षक मधेपुरा के प्रतिवेदन–2 में आवेदक के विरूद्ध कांड सत्य पाया है। कांड दैनिकी के पारा–97 मे सह–अभियुक्त विकास कुमार का स्वीकारोक्ति में बयान है जिसमें उसने बताया है कि घटना कारित करते समय आवेदक मोटरसाइकिल चला रहा था और उसी के कहने पर सूचक का मोबाइल को झपट लेने का काम सह–अभियुक्त सुमित ने किया। कांड दैनिकी के पारा–136 में आवेदक का एक आपराधिक इतिहास अंकित है। आवेदक की कांड में संलिप्तता को देखते हुए अग्रिम जमानत का लाभ देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका को **खारिज** किया जाता है।

लेखापित
Raghubir Prasad
05.06.2026
प्र0 अपर सत्र न्या0–2, मधेपुरा।